157/12 सेलासिंह v/s ग्रा.प. लोलावा आदि ग्रामसेवक [illegible]

23/6/12

पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान–न्याय आपके द्वार मे अटल सेवा केन्द्र ग्रा.प. लोलावा मे पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। विप्रार्थी सं. 2 की ओर से नायब तहसीलदार सिणधरी उपस्थित। विप्रार्थी सं. 1 अनुपस्थित। उभय पक्ष की बहस सुनी गई। बहस कर मनन किया गया। और पत्रावली के सलंग्न राजस्व रिकार्ड एवं दस्तावेजो का अवलोकन किया,जिससे यह प्रतीत नही होता है कि प्रार्थीगण हस्तगत प्रकरण मे स्थगन आदेश जारी करवाने का हकदार है,और न ही ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य रेकर्ड पर उपलब्ध है,जिससे साबित होता है,कि प्रार्थी विवादित भूमि मे स्थगन आदेश जारी करवाने का हकदार हो। एवं हस्तगत प्रकरण में प्रथम दृष्यता मामला,सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीन बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में नही बनते है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदनपत्र सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है।

आदेश मजमे आम सुनाया गया।

पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफतर हो।

सहायक कलक्टर
SDC सिणधरी

Scanned by CamScanner